न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 40/18

रामबिलास उर्फ रामलाल आत्मज स्व. घांसी, जाति नायक, निवासी नयापुरा, कोटा
– (वादी)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
2–6. बिरधीलाल, गोपाल, राजेन्द्र कुमार, राजकुमार, महेन्द्र कुमार पुत्रान स्व. घांसी
7–8. रूकमणी, सुगना बाई पुत्रियां स्व. घांसी
जाति नायक, निवासीगण ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. टीनेन्सी एक्ट
बाबत घोषणा खातेदारी व नाम दुरूस्ती

उपस्थिति :– श्री रामकिशन वर्मा, वादी अभिभाषक

दिनांक : 20.02.2020

निर्णय

1. वादी की ओर से यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के अन्तर्गत बाबत घोषणा खातेदारी व नाम दुरूस्ती न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   * ग्राम व पटवार हल्का ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 599 की 2.04 हैक्टर आराजी स्थित है, जिसकी नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 संलग्न है।
   * उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता स्व. घांसी के नाम दर्ज चली आ रही थी। स्व. घांसी की मृत्यु के बाद उनका फोती नामान्तरकरण तस्दीक किया गया और उक्त भूमि स्व. घांसी के सभी वारिसान के खाते दर्ज की गई, जिसमें सहवन से वादी का नाम राम विलास के स्थान पर रामलाल अंकित कर दिया गया है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 तथा गुलाब बाई बेवा स्व. घांसी के नाम शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। गुलाब बाई का देहावसान हो चुका है व उसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 है। इस प्रकार वादी का उक्त भूमि में 1/8 हिस्सा निहित है।
   * वादी के राशन कार्ड व आधार कार्ड में वादी का वास्तविक नाम रामबिलास ही अंकित है। स्व. घांसी का फोती इंतकाल खोलते समय वादी का गलत नाम रामलाल अंकित कर दिया है, जिसके कारण वादी अपने हिस्से की आराजी पर ऋण आदि प्राप्त करने में असमर्थ है।
   * ग्राम ताथेड में ही एक अन्य खसरा नम्बर 599/920 की 1.13 हैक्टर भूमि भी वादी

Scanned by CamScanner

एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 तथा गुलाब बाई बेवा स्व. घांसी के नाम दर्ज चली आ रही है। गुलाब बाई का देहावसान हो चुका है व उसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 है। इस प्रकार वादी का उक्त भूमि में 1/8 हिस्सा निहित है।

* इस प्रकार वादी राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामलाल के स्थान पर रामबिलास दर्ज किया जाना एवं गुलाब बाई के खाते की भूमि में 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। वादी दोनों खाते की भूमियों में अपने 1/8, 1/8 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। इस सम्बन्ध ने वादी ने दिनांक 05.12.2019 को कहा तो उन्होने मना कर दिया। जिस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। इसी कारण वादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

* अतः वाद पेश कर निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 599 रकबा 2.04 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामलाल के स्थान पर रामबिलास दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा गुलाब बाई का देहावसान हो जाने से विवादित खसरा नम्बर 599 एवं 599/920 में से स्व. गुलाब बाई का नाम हटाया जाकर स्व. गुलाब बाई का हिस्से का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 खातेदार घोषित करते हुये विवादित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 को 1/8, 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

* वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

(अ) खसरा नम्बर 599 रकबा 2.04 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2071–2074

(ब) वादी का मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/14/107/0114942 की फोटोप्रति

(स) वादी का आधार कार्ड संख्या 9385–2421–7177 की फोटोप्रति

(द) वादी के बैंक खाता पासबुक की फोटोप्रति

(य) वादी के परिवार राशन कार्ड की फोटोप्रति

3. न्यायालय में पेश प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये। दौराने वाद प्रतिवादी क्रम 4 व 5 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनके भाई रामविलास का नाम सहवन से राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी) में रामलाल अंकित हो गया है जिसके कारण उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पडता है। वादी का वास्तविक नाम रामविलास ही है। प्रतिवादी क्रम 4 व 5 द्वारा अपनी पहचान स्वरूप मतदाता पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति पेश की गई है। वादी अभिभाषक द्वारा वादी का नाम दुरूस्त किया जाकर उनकी माता स्व. गुलाबबाई का नाम हटाये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने वादी अभिभाषक तथा प्रतिवादी क्रम 4 व 5 के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर जमाबन्दी में वादी के नाम की त्रुटि होने के कथन को स्वीकार किया गया है। वादी की ओर से पेश किये गये उसके स्वप्रमाणित मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, रासन कार्ड की प्रतियों में वादी का नाम रामविलास ही अंकित है। वादी द्वारा अपनी माता स्व. गुलाबबाई की हिस्सा

Scanned by CamScanner

आराजी खसरा नम्बर 599 एवं 599/920 से गुलाब बाई का नाम हटाया जाकर उनके हिस्से के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 8 का नाम दर्ज किये जाने का भी अनुतोष चाहा गया है। इसके समर्थन में वादी द्वारा विवादित खसरा नम्बर 599 की नकल जमाबन्दी पेश की गई है। वादी ओर से 599/920 से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। स्व. गुलाब बाई की मृत्यु से सम्बन्धित भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रम 4 व 5 की ओर से पेश किये गये शपथ पत्र में भी वादी के नाम की त्रुटि को दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में रामलाल के स्थान पर रामविलास किये जाने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। स्व. गुलाब की की हिस्सा आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से किसी भी प्रकार की सहमति नहीं दी गई है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम व पटवार हल्का ताथेड की आराजी खसरा नम्बर 599 रकबा 2.04 हैक्टर में खातेदार रामलाल का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर रामविलास दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार को आदेशानुसार पालना किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

20/2/2020

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

बउनवान :–

रामबिलास उर्फ रामलाल आत्मज स्व. घांसी, जाति नायक, निवासी नयापुरा, कोटा
– (वादी)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

2–6. बिरधीलाल, गोपाल, राजेन्द्र कुमार, राजकुमार, महेन्द्र कुमार पुत्रान स्व. घांसी

7–8. रूकमणी, सुगना बाई पुत्रियां स्व. घांसी
जाति नायक, निवासीगण ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89 RTA
मुकदमा नम्बर : 73 / 18
निर्णय दिनांक : 20-02-2020

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री रामकिशन वर्मा उपस्थिति में आज तारीख 20–02–2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वादपत्र व उपलब्ध दस्तावेजात के गुणावगुण के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम व पटवार हल्का ताथेड की आराजी खसरा नम्बर 599 रकबा 2.04 हैक्टर में खातेदार रामलाल का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर रामविलास दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार को आदेशानुसार पालना किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।
– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह प्राथमिक डिक्री आज तारीख 20.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

20/2/2020
(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner